सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 01
(संस्था के कृत्य तथा दायित्व)
****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)
****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहाँगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

****

(01) संस्था के कृत्य तथा दायित्व
****

संरचनाः–**राज्य शासन द्वारा पूर्व में कार्यरत मध्यप्रदेश गौ सेवा आयोग के स्थान पर** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, का गठन किया गया। बोर्ड, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसाइटी से दिनांक 15 जुलाई 2004 को पंजीकृत हो चुका है। मध्यप्रदेश शासन पशु पालन विभाग के आदेश क्रमांक एफ23/87/04/35/दिनांक 19.10.2004 द्वारा मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील घोषित किया गया है। बोर्ड के कृत्यों के संचालन हेतु बोर्ड अर्न्तगत राज्य स्तर पर एक कार्यपरिषद तथा जिला स्तर पर जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों का गठन किया गया है। सभी 48 जिला समितियों का पंजीयन हो चुका है। सभी जिला समितियों के बैंक में खाते भी खोले जा चुके है।

(अ) मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 11 अनुसार राज्य गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के कृत्य निम्नानुसार है :–

(1) संस्थाओं में पाले जा रहे गौ वंश को लाभदायक बनाने हेतु गौ विज्ञान एवं अनुसंधान की व्यवस्था विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करना।

(2) कृषि विश्वविद्यालयों, पशु चारा एवं गौ वंश विकास कार्यक्रम पर कार्रवाई करने वाले अन्य अनुसंधान संस्थाओं से समन्वय करना और नई वैज्ञानिक तकनीक अननाने में संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सूनिश्चित करना।

(3) चारा बैंक की स्थापना हेतु योजना बनाना।

(4) गौ वंश आधारित उर्जा एवं ग्रामोद्योग का विकास।

(5) मध्यप्रदेश गौ वंश वद्य प्रतिषेघ अधिनियम 2004, मध्यप्रदेश कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 एवं जीवजन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण।

(6) गौ वंश से जुडी संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तथा आत्म निर्भर बनाने की समय सीमा का निर्धारण ।

(7) गौशालाओं का पंजीयन करना एवं अपात्र गौशालाओं का पंजीयन निरस्त करना।

(8) गौ संवर्धन हेतु अनुसंधान एवं गौवशीय स्वदेशी विशेषतः मध्यप्रदेश राज्य की नस्ल के विकास के लिये संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना।

(9) गौशाला विकास कार्यक्रमोंके अधीन राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों का समुचित तथा यथा समय कार्यान्वय सुनिश्चित करना।

(10़)	गौवंश के पालन हेतु चिन्हित शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं का सुदृढीकरण हेतु समन्वय सुनिश्चित करना।
(11)	गौवंश के संवर्धन एव गौवशं पर आधारित कृषि के विकास हेतु किसानों को प्रेरित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
(12)	ऐसे अन्य कृत्यों का , जैसे कि उसे राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जाये, पालन करना।
(13)	बोर्ड के निर्णय के बाद किसी संस्था के कार्यकलापों की जांच करना।
(14)	गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर राज्य शासन को सलाह देना।
(15)	ऐसे कृषि पशु कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करना, जो मध्यप्रदेश कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 के क्रियान्वयन में कार्य और कार्यवाही करेंगें, जिसमें कृषि पशुओं को रोकना–खोजना, वाहनो को रोकना–खोजना, कृषि पशुओं को जप्त करना, अभिरक्षा करना और अभियोजन की कार्यवाही करना भी समाविष्ट होगा।

(ब) मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 13 अनुसार गठित कार्यपरिषद के कृत्य निम्नानुसार है :–

(1)	बोर्ड के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपाय करना तथा नियमों ओर विनियमों के अधीन रहते हुये बोर्ड के समस्त कृत्य संपादित करने का उत्तर दायित्व होगा।
(2)	जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों के माध्यम से गौशालाओं के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का परिक्षण पश्चात उन्हें पंजीकृत करना।

(स) मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 12 अनुसार जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के कृत्य निम्नानुसार है :–

(1)	गौ शालाओं के सुदृढिकरण हेतु बुनियादि सुविधाऐं जैसे चारा, पानी, भूमि, शैड आदि के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
(2)	ऐसे उपाये सुझाना जो आर्थिक रूप से कमजोर संस्थाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने में सहायक हों।
(3)	जप्त गौवंश की अभिरक्षा, अभियोजन की कार्यवाही के निराकरण तक निकटतम गौशाला या गौ रक्षक संस्था या व्यक्ति को सुर्पूद करने में स्थानीय प्रशासन को सहयोग करना।
(4)	मध्यप्रदेश गौ वंश वद्य प्रतिषेध नियम 2004 ,जीवजन्तु कू्रता निवारण अधिनियम 1960 एवं मध्यप्रदेश कृषि पशु परिरक्षण अधिनिमय 1959 का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण।
(5)	गौशाला विहीन जनपदों में नवीन गौशाला स्थापित करने की योजना बनाना।
(6)	गौशालाओं में उपलब्ध पशुधन की जानकारी सत्यापित एवं संकलित कर राज्य स्तरीय बोर्ड को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना।
(7)	जिले की पडत भूमिपर चारागाह विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 02
(संस्था के अधिकारियों के कृत्य तथा अधिकार)

*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(02) संस्था के अधिकारियों के कर्तव्य तथा अधिकार

*****

मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 15 (अ) अनुसार संस्था (बोर्ड) के अधिकारियों के अधिकार निम्नानुसार है :–

(1) **अध्यक्ष के अधिकार**

1. अध्यक्ष बोर्ड की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा बोर्ड की बैठकों का आयोजन करवायेगा, अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों मे निणर्यात्मक होगा।

(2) **उपाध्यक्ष के अधिकारद**

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(3) **सदस्य सचिव के अधिकार**

1. अध्यक्ष के निर्देशानुसार बोर्ड की बैठक समय समय पर बुलाना तथा समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।
2. बोर्ड का आय व्यय का लेखा चार्टड अकाउंटेन्ट से प्रतिवेदन तैयार करके समस्त प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना, उनका परिक्षण करना व नियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंध कार्यकारिणी को देना।

(4) **प्रबंध संचालक की शक्तियॉ :–**राजय शासन बोर्ड के लिये प्रबंध संचालक नियुक्त करेगा, जोकि बोर्ड का सदस्य सचिव होगा। प्रबंध संचालक कार्यपरिषद अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधियो को कार्यानवित करने के लिये उत्तरदायी होगा। अपने कृत्यो के कारगर निर्वहन के लिये उसे निम्नलिखित शक्तियॉ प्राप्त होंगी :–

1. कार्यपरिषद के निर्णयों का क्रियान्वयन करायेगा।
2. बोर्ड के उद्येश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना।
3. बोर्ड के अधिकारियों तथा स्टाफ के कर्तव्य निर्धारण करना तथा उन पर प्रशासनिक नियंत्रण।
4. बोर्ड तथा अधिनस्त इकाईयों की गतिविधियों के बीच समन्व स्थापित करना और उनका पर्यवेक्षण।

5. बोर्ड और कार्यपरिषद की बैठकों का प्रबंध करना और बैठकों की कार्यवाही विवरण अभिलिखित और संधारित करना।
6. अन्य ऐसे कृत्य संपादित करना जो बोर्ड के उद्येश्यों की प्राप्ति के लिये अध्यक्ष एवं कार्यपरिषद द्वारा सौंपे जायें ।

(5) <u>लेखा अधिकारी के कर्तव्य</u> :–

1. बोर्ड की धराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा प्रबंध संचालक (सदस्य सचिव) या कार्यपरिषद द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(6) <u>उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें</u> :–

1. बोर्ड/कार्यपरिषद के अनुमोदन उपरान्त नवीन गौशालाओं के पंजीयन का कार्य करेगा।
2. वरिष्ट अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

(7) <u>अन्य अमला</u> :–

1. वरिष्ट अधिकारियों द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यो का बोर्ड की नियमावली के अनुसार निष्पादन।

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 03
(उत्तरदायित्वों का निर्धारण,पर्यवेक्षण की परिपाटी तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया)

****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

****

1.	**संस्था का नाम –**	मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2.	**संस्था का कार्यालय –**	आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3.	**संस्था का कार्यक्षेत्र –**	संपूर्ण मध्यप्रदेश
4.	**संस्था का उद्धेश्य –**	राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

****

<u>(03) उत्तरदायित्वों का निर्धारण,पर्यवेक्षण की परिपाटी तथा निर्णय लेने की विधियों की प्रक्रिया</u>

****

मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 13 (ब) अनुसार प्रबंध संचालक बोर्ड कार्यालय का कार्यालय प्रमुख रहेगा तथा बोर्ड के अधिकारियों और स्टाफ के कर्तव्य निर्धारित करेगा तथा उन पर प्रशासनिक निर्णय रखेगा।

1. संस्था के अधिकारियों/ कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रबंध संचालक द्वारा किया जायेगा।
2. बोर्ड के कार्यो के नियमानुसार निपादन को सुनिश्चित करने के उद्येश्य से प्रबंध संचालक द्वारा समय समय पर कार्यालयीन कार्यो का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
3. प्रबंध संचालक द्वारा कार्यालयीन नसतियॉ, पंजियॉ, नियमावली , निमय, अधिनियम आदि के व्यवस्थित रख रखाव तथा अद्यतन जानकारियों का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। जिससे किसी विषय पर समुचित निर्णय लिये जा सकें।
4. बोर्ड द्वारा पंजीकृत गौशालाओं का निरीक्षण संलग्न प्रपत्र ''क'' अनुसार किया जायेगा।
5. प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों का निष्पादन मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी निम्नानुसार निर्देशों/आदेशों के अनुरूप किया जावेगा :–

****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 04
(दायित्वों के निष्पादन हेतु निर्धारित मापदंड)

****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

****

1.	**संस्था का नाम –**	मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2.	**संस्था का कार्यालय –**	आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3.	**संस्था का कार्यक्षेत्र –**	संपूर्ण मध्यप्रदेश
4.	**संस्था का उद्धेश्य –**	राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

****

(04) दायित्वों के निष्पादन हेतु निर्धारित मापदंड

****

मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, के समस्त कार्य मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की नियमावली (यथासंशोधित) तथा समय समय पर इसमें किये गये संशोधन एवं प्रावधान अनुसार निष्पादित किये जावेंगे।

****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 05
(कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध तथा प्रयोग में लिये जाने वाले नियम)
*****
मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)
*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****
(05) कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध तथा प्रयोग में लिये जाने वाले नियम, नियमन, निर्देश, संहिताऐं तथा अभिलेख
*****
<u>नियम, नियमन, निर्देश, तथा संहिताऐं</u>

1. मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, के समस्त कार्य मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की नियमावली (यथासंशोधित) तथा समय समय पर इसमें किये गये संशोधन एवं प्रावधान अनुसार निष्पादित किये जावेंगे।
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी समस्त आदेशों /निर्देशों / नियमनों तथा सहिंताओं का पालन किया जावेगा।
3. प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों के निष्पादन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी निम्नानुसार आदेश निर्देशों का पालन किया जावेगा।

<u>प्रशासनिक मामले</u> :–

<u>वित्तीय मामले</u> :–

कार्यालय द्वारा संधारित अभिलेख

तकनीकी शाखा द्वारा संधारित नस्तियॉ :–

1. बोर्ड द्वारा पंजीकृत समस्त गौशालाओं की पृथक –पृथक नस्तिया॑।
2. बोर्ड तथा कार्यपरिषद की समय समय पर आयोजित बैठकों से संबधित नस्तियॉ।
3. गौशाालाओं के विकास हेतु प्रस्तावित योजनाओं से सम्बधित नस्तियॉ।
4. शासन द्वारा समय समय पर चाही गई विभिन्न प्रकार की जानकारियों से सम्बंधित नस्तियॉ।
5. जिला गौपालन समितियों की गतिविधियों के संबध मे ंनस्तियॉ।
6. मंडी बोर्ड से जिलो को प्रदाय की जाने वाली राशि विषयक नस्ती।
7. विधान सभा प्रश्न, ध्यान आकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव आदि की नस्ती।
8. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों की नस्ती।
9. अन्य सामान्य पत्राचार।

तकनीकी शाखा द्वारा संधारित पंजियॉ :–

1. गौशालाओ के पंजियन की पंजी।
2. समय समय पर बोर्ड, कार्यपरिषद की आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरण की पंजी।
3. बोर्ड के सदस्यों के विवरण की पंजी।

स्थापना/सामान्य/लेखा शाखा द्वारा संधारित नस्तियॉ :–

1. वाहन नस्ती, अधिकारियों /कर्मचारियों की व्यक्तिगत नस्ती, सदस्यों की सेवा सुविधा विषयक नस्ती, स्टेशनरी एवं लेखन सामग्री विषयक नस्ती, दूरभाष, विधुत , सदस्यों के वेतन, आडिट रिपोर्ट, बजट नस्ती।

स्थापना/सामान्य/लेखा शाखा द्वारा संधारित पंजियॉ :–

1. स्टाक पंजी, स्टेशनरी पंजी, वाहन पंजी, दूरभाष पंजी, विधुत देयक पंजी, आकस्मिक व्यय पंजी, चैक पंजी, बैंक ड्राफ्ट पंजी, एडवांन्स पंजी, कैश बुक, स्टेम्प पंजी, आवक जावक पंजी, कन्टनजैन्सी पंजी ।

****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 06
(संधारित अभिलेखों की श्रेणीयॉ)
****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)
****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

****

(06) संधारित अभिलेखों की श्रेणीयॉ
****

<u>कार्यालय द्वारा संधारित अभिलेखों की श्रेणीयॉ</u>

तकनीकी शाखा द्वारा संधारित नस्तियॉ :–

1. बोर्ड द्वारा पंजीकृत समस्त गौशालाओं की प्रथक प्रथक नस्तियॉ।
2. बोर्ड तथा कार्यपरिषद समय समय पर आयोजित बैठको से संबधित नस्तियॉ।
3. गौशालाओ के विकास हेतु प्रस्तावित योजनाओं से सम्बंधित नस्तियॉ।
4. शासन द्वारा समय समय पर चाही गई विभिन्न प्रकार की जानकारियों से सम्बधित नस्तियॉ।
5. जिला गौपालन समितियों की गतिविधियों के संबध मे नस्तियॉ।
6. मंडी बोर्ड से जिलों को प्रदाय की जाने वाली राशि विषयक नस्ती।
7. विधान सभा प्रश्न, ध्यान आकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्तवा आदि की नस्ती।
8. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों की नस्ती।
9. अन्य सामान्य पत्राचार।

तकनीकी शाखा द्वारा संधारित पंजियॉ :–

1. गौशालाओं के पंजीयन की पंजी।
2. समय समय पर बोर्ड, कार्यपरिषद की आयोजित बैठको के कार्यवाही विवरण की पंजी।
3. बोर्ड के सदस्यों के विवरण की पंजी।

स्थापना एव सामान्य शाखा द्वारा संधारित नस्तियॉ :–

1. वाहन नस्ती ।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत नस्ती
3. सदस्यों को सेवा सुविधा विषयक नस्ती
4. स्टेशनरी एव लेखन सामग्री विषयक नस्ती

5. दूरभाष नस्ती
6. विधुत संबधी नस्ती।
7. सामान्य पत्राचार।

स्थापना एव सामान्य शाखा द्वारा संधारित पंजियॉ :–

1. स्टाक पंजी।
2. स्टेशनरी पंजी।
3. वाहन पंजी।
4. दूरभाष पंजी ।
5. विधुत देयक पंजी।
6. आकस्मिक व्यय पंजी।
7. आवक जावक पंजी।

लेखा शाखा द्वारा संधारित नस्तियॉ :–

1. सदस्यों के वेतन ।
2. आडिट रिपोर्ट।
3. बजट नस्ती।
4. व्हाउचर नस्ती।
5. सामान्य पत्राचार।

लेखा शाखा द्वारा संधारित पंजियॉ :–

1. आकस्मिक व्यय पंजी ।
2. चैक पंजी।
3. बैक ड्राफ्ट पंजी।
4. एडवान्स पंजी।
5. कैश बुक।
6. स्टाम्प ंपजी।

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 07
(जन सेवाकों की भागीदारी की व्यवस्था)

*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(07) नीतिगत तथा प्रशासनिक मामलों के व्यवस्थापन हेतु विचार विर्मश के लिये जन सेवाकों की भागीदारी की व्यवस्था

*****

मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 5 अनुसार बोर्ड में सदस्यता के लिये प्रावधान है कि राज्य सरकार राज्य गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोंर्ड तथा जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति का गठन करेगी। नियम 5अ (2) अनुसार बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनित सदस्य निम्नानुसार रहैंगे :–

1. मंत्री मध्यप्रदेश शासन, पशु पालन विभाग, राज्य स्तरीय बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होगा तथा राज्य शासन द्वारा नामांकित एक अशासकीय व्यक्ति जो बोर्ड का दूसरा उपाध्यक्ष होगा।
2. गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन में रूचि रखने वाले सात अशासकीय सदस्य जिसमें कम से कम दो पंजीकृत गौशालाओं के संचालक होना अनिवार्य है।

नियम 5 ब, (2) अनुसार जिला गौ पालन एव ंपशुधन संर्वधन समिति में निम्नानुसार अशासकीय सदसयों का मनोंनयन किया जावेगा :–

1. चार अशासकीय सदस्य जिसमें से दो का नामांकन राज्य गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा एवं दो का नामांकन जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त जिले के विधायकों में से एक विधायक प्रभारी मंत्री द्वारा मनोंनित किया जावेगा। जिले के विधायकों का कार्यकाल बारी बारी से एक वर्ष का होगा।

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 08
(बोर्ड सदस्यों के विवरण)
****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)
****

1.	**संस्था का नाम –**	मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2.	**संस्था का कार्यालय –**	आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉंगीराबाद, भोपाल
3.	**संस्था का कार्यक्षेत्र –**	संपूर्ण मध्यप्रदेश
4.	**संस्था का उद्धेश्य –**	राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

****

(08) (विचार विमर्श तथा सलाह हेतु दो या दो से अधिक सदस्यों के गठित बोर्ड , परिषद, समिति तथा अन्य समुह के विवरण । क्या इन बोर्ड, परिषद , समिति तथा अन्य समुहों की बैठकों में आम जनता भी भाग ले सकती है अथवा क्या इन बैठकों के कार्रवाई विवरण जनता का सुलभ कराये जा सकते है।)

****

<u>अ. सदस्यों के विवरण</u>

1. **राज्य स्तर पर गठित बोर्ड के सदस्यों के विवरण :–** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 5 अनुसार राज्य स्तरीय बोर्ड के गठन हेतु निम्नानुसार प्रावधान है।

<u>सदस्यता</u> :– राज्य सरकार राज्य गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोंर्ड तथा जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति का गठन करेगी। जिसमें अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे। अर्थात

(अ) <u>राज्य गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड</u> :–

राज्य गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोंर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्

(1)	1.	मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
	2.	मंत्री, पशु पालन विभाग, मध्यप्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
	3.	कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
	4.	प्रमुख सचिव, गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
	5.	प्रमुख सचिव ,वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
	6.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
	7.	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन/विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
	8.	प्रमुख सचिव, पशु पालन विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
	9.	आयुक्त सह संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश	सदस्य
	10.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम	सदस्य
	11.	संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश	सदस्य
	12.	प्रबंध सचांलक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,	सदस्य
	13.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड,	सदस्य सचिव

(2) <u>राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य</u> :—

1. मंत्री मध्यप्रदेश शासन, पशु पालन विभाग राज्य स्तरीय बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होगा तथा राज्य शासन द्वारा नामांकित एक अशासकीय व्यक्ति जो बोर्ड का ''दूसरा'' उपाध्यक्ष होगा।
2. गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन में रूचि रखने वाले सात अशासकीय सदस्य, जिसमें काम से काम दो पंजीकृत गौशालाओं के संचालक होना अनिवार्य है।
3. आयुक्त सह संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, का सदस्य होगा।
4. राज्य शासन द्वारा नियुक्त प्रबंध संचालक, बोर्ड का सदस्य सचिव होगा।

2. राज्य स्तर पर गठित कार्यपरिषद के सदस्यों के विवरण :—मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 13 अनुसार राज्य स्तरीय कार्यपरिषद के गठन हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। :—

<u>कार्यपरिषद का गठन</u> :—

मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, के द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए बोर्ड के कार्यो का संचालन कार्यपरिषद द्वारा किया जायेगा। इसका गठन, कर्तव्य, शक्तियॉ तथा उसके पदाधिकारियों की शक्तियॉ निम्नानुसार होंगी।

<u>कार्यपरिषद की संरचना</u> :—

1.	बोर्ड के अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य का राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष हेतु नामांकन	
2.	बोर्ड के अशासकीय सदस्यों में से दो सदस्य के उपाध्यक्ष के रूप में नामांकन	
3.	बोर्ड के समस्त अशासकीय सदस्य, कार्यपरिषद के सदस्य होंगें।	
4.	संचालक कृषि	सदस्य
5.	आयुक्त सह संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें,	सदस्य
6.	अपर विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग,	सदस्य
7.	प्रधान वन संरक्षक द्वारा नामांकित मुख्य वन संरक्षक (योजना)म.प्र.	सदस्य
8.	प्रबंध संचालक, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल	सदस्य
9.	प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ म.प्र. भोपाल	सदस्य
10.	आयुक्त नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल	सदस्य
11.	राज्य शासन द्वारा नामांकित संचालक स्तर का अधिकारी	प्रबंध संचालक एवं सदस्य सचिव

3. जिला स्तर पर गठित जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के सदस्यों के विवरणः— मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 5(ब) अनुसार जिला स्तरीय गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के गठन हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। :—

<u>जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति</u> :—

जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति, अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा अर्थात् —

(1) <u>शासकीय सदस्य</u> :–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधिक्षक	सदस्य
3.	संयुक्त संचालक / उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें,	पदेन सचिव
4.	उप संचालक कृषि	सदस्य
5.	प्रबंधक मध्यप्रदेश, ऊर्जा विकास निगम	सदस्य
6.	आयुक्त, नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
7.	जिला पंचायत के कृषि समिति का अध्यक्ष	सदस्य
8.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
9.	सचिव कृषि उपज मंडी (जिला मुख्यालय का)	सदस्य

(2) <u>अशासकीय सदस्य</u> :–

1. चार अशासकीय सदस्य जिसमें से दो का नामांकन राज्य गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा एवं दो का नामांकन जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिले के विधायकों में से एक विधायक प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत किया जायेगा। जिले के विधायकों का कार्यकाल बारी बारी से एक वर्ष का होगा।
2. जिला कलेक्टर जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य उपाध्यक्ष होगा, जिसका मनोनयन राज्य बोर्ड द्वारा किया जायेगां।
3. संयुक्त / उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला गौ पालन एवं पशु धन संवर्धन समिति का पदेन सचिव होगा।

<u>ब. आम जनता का बैठकों में भाग लेना</u>

सामान्यतः मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, कार्यपरिषद एवं जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों की बैठकों में आम जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है।

<u>स. बैठकों के कार्यवाही विवरण जनता को सुलभ कराना</u>

मांग किये जाने पर मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, कार्यपरिषद एवं जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों की बैठकों के कार्यवाही विवरण संबंधित को उपलब्ध कराये जा सकते है।

****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 09
(अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निदेर्शिका)
*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)
*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(09) अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निदेर्शिका
*****

मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के सदस्यों की सूची :–

क्र.	नाम	पदनाम
01.	माननीय मुख्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
02.	माननीया श्रीमती अर्चना चिटनिस,मंत्री पशु पालन विभाग, मध्यप्रदेश शासन	पदेन उपाध्यक्ष
03.	माननीय श्री मेघराज जी जैन, बी, 12, दयानन्द नगर, भोपाल.	सदस्य
04.	माननीय श्री कमल पटेल, ढुढी निवास, इन्दौर रोड हरदा जिला हरदा	सदस्य
05	माननीय श्री शिवकुमार चौबे, सेन्ट्रल बैंक के ऊपर, सराफा चौक, होशंगाबाद	सदस्य
06.	माननीय श्री विनायक परिहार, शान्ति सरोवर, यूको बैंक के पास कंदेली नरसिंहपुर	सदस्य
07.	माननीय श्री राजेन्द्र परसाई, 21 सिद्ध माता मोहल्ला, खरगौर	सदस्य
08.	माननीय श्री पदम बरैया, दानाओली ग्वालियर	सदस्य
09.	कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय,भोपाल	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव, पशु पालन विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
15.	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल	सदस्य
16.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, ऊर्जा भवन भोपाल	सदस्य
17.	प्रबधं सचालक, मध्यप्रदेश, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अरेरा हिल्स, भोपाल	सदस्य
18.	संचालक, कृषि विभाग, विध्याचल भवन, भोपाल मध्यप्रदेश	सदस्य
19.	प्रबधं संचालक, मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, जहागीराबाद भोपाल	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्यपरिषद के सदस्यों की सूची :–

क्र.	नाम	पदनाम
01.	माननीय श्री मेघराज जी जैन, बी, 12, दयानन्द नगर, भोपाल.	अध्यक्ष
02.	माननीय श्री कमल पटेल, ढुढी निवास, इन्दौर रोड हरदा जिला हरदा	सदस्य
03.	माननीय श्री शिवकुमार चौबे, सेन्ट्रल बैंक के ऊपर, सराफा चौक, होशंगाबाद	सदस्य
04.	माननीय श्री विनायक परिहार, शान्ति सरोवर, यूको बैंक के पास कंदेली नरसिंहपुर	सदस्य
05	माननीय श्री राजेन्द्र परसाई, 21 सिद्ध माता मोहल्ला, खरगौर	सदस्य
06.	माननीय श्री पदम बरैया, दानाओली ग्वालियर	सदस्य
07.	आयुक्त सह संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल	सदस्य
08.	अपर विकास आयुक्त ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल	सदस्य
09.	आयुक्त नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल	सदस्य
10.	संचालक, कृषि, मध्यप्रदेश भोपाल	सदस्य
11.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्य वन संरक्षक योजना) मध्यप्रदेश भोपाल	सदस्य
12.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रेदश राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम, भोपाल	सदस्य
13.	प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ भोपाल	सदस्य
14.	प्रबधं संचालक, मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, जहागीराबाद भोपाल	सदस्य सचिव

जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के सदस्यों की सूची :–

क्र.	नाम	पदनाम
01.	राज्य स्तर से नांमाकित अशासकीय सदस्त	उपाध्यक्ष
02.	राज्य स्तर से नांमाकित अशासकीय सदस्त	सदस्य
03.	जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित अशासकीय सदस्य	सदस्य
04.	जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित अशासकीय सदस्य	सदस्य
05.	जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित एक विधायक	सदस्य
06.	कलेक्टर	अध्यक्ष
07.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
08.	संयुक्त/उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें,	पदेन सचिव
09.	उप संचालक कृषि	सदस्य
10.	प्रबंधक ऊर्जा विकास निगम	सदस्य
11.	आयुक्तनगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
12.	जिला पंचायत की कृषि समिति के अध्यक्ष	सदस्य
13.	सचिव कृषि उपज मंडी (जिला मुख्यालय)	सदस्य
14.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला ंपचायत	सदस्य

मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी :–

क्र.	नाम	पदनाम
01.	डॉ.राजेश राजौरा आई.ए.एस.	प्रबंध संचालक
02.	डॉ.एस.एन.निगम	उप संचालक,पशु चिकित्सा,सेवायें
03.	डॉ.पी.ओ.पी.श्रीवास्तव	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
04.	डॉ.श्रीमती बबीता त्रिपाठी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
05.	श्री एम.के.मथाई	सहायक ग्रेड–2
06.	श्री के .एस.सोलंकी	सहायक ग्रेड–3
07.	श्री अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव	दुग्ध अभिलेखक
08.	श्री दिनेश कुमार डॉगरे	फील्ड असिसटेट
09.	श्री सी.के.वैद्य	विक्रय पर्यवेक्षक(मा. अध्यक्ष निवास कार्यालय)
10.	श्री हरिसिंह सोनकेशरिया	सहायक ग्रेड–2(मा. अध्यक्ष निवास कार्यालय)
11.	श्री शेषमणी सोनी	सहायक ग्रेड–3(मा. अध्यक्ष निवास कार्यालय)
12.	श्री राजेन्द्र पटेल	भृत्य (मा. अध्यक्ष निवास कार्यालय)
13.	श्रीमती दग्गू बाई	भृत्य
14.	श्री राम किशन	भृत्य
15.	श्री बाबू लाल बाथम	कुक्कुट परिचारक
16.	श्रीमती कृष्णा बाई (अंशकालिक स्वच्छकार)	अंशकालिक स्वच्छकार

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 10
(अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक तथा नियमों के अनुसार मानदेय के प्रावधान)

*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहाँगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(10) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक तथा नियमों के अनुसार मानदेय केप्रावधान

*****

1. मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, की नियमावली (यथासंशोधित) के नियम 13 (ट) अनुसार बोर्ड में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की सेवा शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय की जायेगी लेकिन आज दिनांक तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किसी अधिकारी / कर्मचारी की सेवा शर्ते तय नहीं की गई है।

2. अमले की कमी के कारण बोर्ड में पदस्थ समस्त अमला पशु चिकित्सा विभाग का है जिनके वेतन/भत्तों का आहरण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा वे बोर्ड कार्यालय मे ंकार्यकर रहै है।

3. बोर्ड में कार्यरत अमले को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत वेतन भत्ते, विभाग द्वारा दिये जा रहै है।

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 11
(योजना तथा अनुमानित व्यय के आधार पर संस्था तथा इसकी एजेन्सियों को आवंटित बजट और वितरण के प्रतिवेदन)

*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(11) योजना तथा अनुमानित व्यय के आधार पर संस्था तथा इसकी एजेन्सियों को आवंटित बजट और वितरण के प्रतिवेदन

*****

1. मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की धारा 14 अनुसार एवं जिला गैापालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों की निधि के सम्बंध में निम्नानुसार प्रावधान है :–

<u>राज्य गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड एवं जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की निधि</u> :–

(1) राज्य गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड एवं जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की निधि राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों, अन्य श्रोतों जैसे पंजीयन शुल्क, शास्तियों आदि धार्मिक संस्थाओं से प्राप्त दान से मिलकर बनेगा।
(2) मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान एंव अधोसंरचना निधि से शासन के निर्देशानुसार जिला गौ पालन एवं पशुधन सवंर्धन समिति को प्राप्त राशि।

2. मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन सवर्धन बोर्ड की धारा16 अनुसार बोर्ड की निधि के संचालन हेतु निम्नानुसार प्रावधान है :–

<u>बैंक खाता</u> :–
(1) प्रबंध संचालक बोर्ड की समस्त राशियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में रखेगा तथा प्रत्येक वर्ष के आये व्यय वित्तीय सम व्यवहारों को चार्टेड एकाउन्टेट से सत्यापित करायेगा।
(2) बोर्ड के खातों का संचालन, कार्यपरिषद के प्रबंध संचालक एवं लेखा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।

3. राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष मांग संख्या 14–2403 आयोजना 102 पशु एंव भैंस विकास योजना क्रमांक 1154 अर्न्तगत मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन सवंर्धन बोर्ड को रूपये एक करोड पचास लाख का वंटन दिया जाता है इस राशि का उपयोग कार्यालय व्यय हेतु किया जाता है।

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 12

(अनुदान कार्यक्रम अर्न्तगत चयनित हितग्राहियों के विवरण, वितरित अनुदान एवं अनुदान वितरण कार्यक्रम के कियान्वयन की विधि)

*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(12) अनुदान कार्यक्रम अर्न्तगत चयनित हितग्राहियों के विवरण, वितरित अनुदान एवं अनुदान वितरण कार्यक्रम के कियान्वयन की विधि

*****

1. **चयनित हितग्राहियों के विवरण तथा वितरित अनुदान** :– अनुदान कार्यक्रम अर्न्तगत मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा आलोच्य वर्ष में जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों के माध्यम से प्रदेश के 25 जिलों की139 पंजीकृत गौशालाओं को रूपये 44,29,299.000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। चयनित हितग्राहियों के विवरण संलग्न परिशिष्ट 02 अनुसार संलग्न है।

2. **अनुदान वितरण हेतु जिलों को राशि की व्यवस्था** :– मध्यप्रदेश गौ पालन एंव पशुधन संवर्धन बोर्ड अर्न्तगत जिले में जिला गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों का गठन किया जा चुका है। मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन सवंर्धन बोर्ड की नियमावली (यथा संशोधित) के नियम 12 (1) अनुसार जिला गौ पालन समितियों को गौशालाओं के सुदृढीकरण हेतु बुनियादी सुविधाऐं जैसे चारा , पानी, भूमि, शैड आदि के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है।

शासन के निर्देश अनुसार तथा कृषि अनुसंधान एवं अद्योसरचना विकास निधि की अनुदान मंजूर समिति की दिनांक 24.08.2004 को सम्पन्न बैठक के कार्यवाही विवरण के बन्दु कमांक के 07 एवं 08 अनुसार जिला गौ पालन एंव पशुधन संवर्धन समिति, के कृत्यों के संचालन हेतु राशि की व्यवस्था मंडी बोर्ड की अनुसंधान एवं अद्यौसंरचना मद से की जाना है।

जिला समितियों को राशि आवंटन में एक रूपता बनी रहै इस दृष्टि से जिलों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशिकी गणना निम्नसूत्र अनुसार की गई है ।

(1) **जिले में कुल कियाशील गौशाला/प्रदेश की कुल कियाशील गौशालाऐं X 0. 2 + जिले की कियाशील गौशालाओं में कुल गौ वंश/प्रदेश की कियाशील गौशालाओं में कुल गौ वंश X 0.8 = एलोकेशन फेक्टर .**

(2) **ऐलोकेशन फेक्टर X मंडी बोर्ड के पास इस मद हेतु उपलब्ध कुल राशि = जिले को आवंटित की जाने वाली राशि .**

3. **गौशालाओं को अनुदान वितरण के कियान्वयन की विधि :–** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन सवंर्धन बोर्ड की नियमावली (यथा संशोधित) के नियम 12 (1) अनुसार जिला गौ पालन समितियों को गौशालाओं के सुदृढीकरण हेतु बुनियादी सुविधाऐं जैसे चारा , पानी, भूमि, शैड आदि के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। जिला समितियों की समय समय पर होने वाली बैठकों में गौशालाओ को पात्रता अनुसार अनुदान वितरण करने के निर्णय लिये जाते है। अनुदान वितरण हेतु बोर्ड स्तर से निम्नानुसार मार्गदशी सिद्वान्त सभी जिला समितियों को जारी किये गये है :–

(01) कियाशील गौशालाओं को मुख्यतः उनमें उपलब्ध अशक्त / असहाय / रोगी / वृद्ध / दूध न देने वाले गौवंश की संख्या के आधार पर राशि वितरित की जाये।

(02) गौशाला पिछले तीन वर्षो से कियाशील हो आवश्यक होने पर इस अवधि में छूट हेतु प्रकरण कार्यपरिषद को प्रस्तुत किया जाये किन्तु एक वर्ष से कम समय से संचालित गौशालाओं के प्रकरण न भेजे जायें ।

(3) गौशाला में कम से कम 25 गौ वंशीय पशु अशक्त / असहाय / रोगी / वृद्ध / दूध न देने वाले हों ।

(4) गौशाला का प्रबंधन एवं संचालन व्यवस्थित एवं सुचारू हो।

(5) जिला गौ पालन समिति के शासकीय / अशासकीय सदस्य प्रत्येक तीन माह में नियमित रूप से जिले की गौशालाओं का निरिक्षण कर स्वीकृत राशि के समुचित उपयोग एवं गौशाला की प्रगति के विषय में प्रपत्र क में जानकारी प्राप्त करें।

(6) गौशाला से राशि की रशीद प्राप्त की जाये।

(7) पूर्व में प्रदाय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली सहायता दी जाये।

(8) प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति में चार्टेट एकाउटेन्ट की गौशाला की आडिट रिर्पोट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त जाये। गत आडिट रिर्पोट प्राप्त न होने की दशा में अगली सहायता न दी जाये।

(9) मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन सवंर्धन बोर्ड की नियमावली (यथा संशोधित) के नियम 12 अनुसार केवल गौशालाओं के सुदृढीकरण हेतु बुनियादी सुविधाऐं जैसे चारा , पानी, भूमि, शैड आदि के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये।

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 13

(संस्था से किसी तरह की रियायत प्राप्त करने वालों, अनुज्ञा पत्र धारकों तथा संस्था द्वारा कार्य विशेष हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के विवरण)

*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहाँगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(13) संस्था से किसी तरह की रियायत प्राप्त करने वालों, अनुज्ञा पत्र धारकों तथा संस्था द्वारा कार्य विशेष हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के विवरण

*****

1. **रियायत प्राप्तकर्ता :–** संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है।
2. **अनुज्ञा पत्र धारक :–** संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई अनुज्ञा पत्र नहीं दिया गया है।
3. **कार्य विशेष हेतु प्राधिकृत व्यक्तिः–** संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति को कार्य विशेष हेतु प्राधिकृत नही किया गया है।

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 14

(संस्था द्वारा संधारित कम्प्यूटरीकृत (इलेक्ट्रानिक) जानकारियों एंव सूचनाओं के विस्तृत विवरण)

*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड

(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(14) संस्था द्वारा संधारित कम्प्यूटरीकृत (इलेक्ट्रानिक) जानकारियों एंव सूचनाओं के विस्तृत विवरण

*****

1. मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, द्वारा कार्यालय में गौशालाओं से सम्बंधित जानकारी एवं प्रगति विषयक आंकडे जैस गौशाला का नाम, पता, पंजीयन क्रमांक, पजीयन दिनांक, स्थापना वर्ष, संभाग, जिला, विकास खण्ड, पशु संख्या, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि, भवन, पानी, मिल्करूट, स्तर, संस्था के अध्यक्ष, दूरभाष, श्रेणी, गौशाला मे उपलब्ध संस्थानों की जानकारी, जैसे कुल भूमि, भवन, भूस्वामी, चारा उत्पादन, औषधीय पौधे, फलदार वृक्ष, प्रजनन सुविधा, उपलब्ध सांड, दुग्ध उत्पादन, दूध से आय, गौ मूत्र से औषधी निर्माण, गौ मूत्र से फसल रक्षक का निर्माण , जैविक खाद का उत्पादन, खाद से आय, बायो गैस संयत्र, गौशालाओं को अब तक दी गई वर्षवार आर्थिक सुविधा की विस्तृत जानकारी जैसे वर्षवार स्वीकृत राशि, चैक क्रमांक, चैक दिनांक, आडिट रिर्पोट प्राप्ति की जानकारी, गौशालाओं से सम्बधित जिलावार जानकारी जैसे जिलावार गौशालाऐं, जिलेवार गौशालाओं में उपलब्ध गौ वंश, विकास खंडवार गौशालाओं की संख्या, मंडी बोर्ड द्वारा जिलों को दी गई राशि, जिला समितियों का पंजीयन क्रमांक बैंक तथा खाता क्रमांक राज्य तथा जिला स्तर से जिला गौ पालन समितियों में मनोनीत सदस्यों की सूची, ऊर्जा विकास निगम द्वारा स्थापित बायो गैस संयत्र, गौशालाओं के विकास हेतु भारत शासन को प्रेषित प्रस्ताव, गौकुल ग्रामों में संचालित गौशालाओं की जानकारी, बोर्ड का आय व्यय पत्रक, आदि कार्यालयीन कम्प्यूटर में संधारित किये गये है।

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 15

(जनता की सुविधा के लिये उपलब्ध जानकारियॉ, एवं सूचनाऐं, जनता के लिये वाचनालय, यदि उपलब्ध हो तो उसका कार्य समय)

*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(15) जनता की सुविधा के लिये उपलब्ध जानकारियॉ, एवं सूचनाऐं, जनता के लिये वाचनालय, यदि उपलब्ध हो तो उसका कार्य समय

*****

1. **जनता की सुविधा के लिये उपलब्ध जानकारियॉ, एवं सूचनाऐं :–** जनता की सुविधा के लिये मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा ब्राशर तैयार किया गया है जो परिशिष्ट 03 अनुसार संलग्न हैं इसके अलावा बोर्ड की गतिविधियों से सम्बधित नई राह पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है।

2. **वाचनालय :–** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के कार्यालय स्तर पर फिलहाल वाचनालय उपलब्ध नहीं है किन्तु इच्छुक व्यक्तियों को बोर्ड की गतिविधियों, गौशालाओं की समस्याओं के निराकरण आदि हेतु कार्यालयीन समय में जानकारी, तकनीकी मार्ग दर्शन एवं परार्मश दिया जाता है ।

*****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 16
(जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण)

*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(16) जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण

*****

1. **प्रथम अपीलीय अधिकारी :–** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, के प्रबंध संचालक को **परिशिष्ट 05** अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है विवरण निम्नानुसार है। :–

1.	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम	श्री
2.	पदनाम	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं पशुधन सवर्धन बोर्ड
3.	पता	
4.	कार्यालय का दूरभाष कमांक	0755–2675210
5.	निवास का दूरभाष कमाक	0755–
6.	मिलने का समय	कार्यालयीन समय में।

2. **जन सूचना अधिकारी :–** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, में कार्यरत डॉ. एस. एन.निगम उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें,को परिशिष्ठ 01 अनुसार जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है विवरण निम्नानुसार है :–

1.	जन सूचना अधिकारी का नाम	डॉ. एस.एन.निगम
2.	पदनाम	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें
3.	पता	एफ.84/20 तुल्सी नगर, भोपाल
4.	कार्यालय का दूरभाष कमांक	0755–2675210
5.	निवास का दूरभाष कमाक	0755–2556986
6.	मिलने का समय	कार्यालयीन समय में।

3. **उप जन सूचना अधिकारी :–** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, में कार्यरत डॉ. पी.ओ.पी.श्रीवास्तव पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को परिशिष्ठ 06 अनुसार उप जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है विवरण निम्नानुसार है :–

1.	उप जन सूचना अधिकारी का नाम	डॉ. पी.ओ.पी.श्रीवास्तव

2.	पदनाम	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ,
3.	पता	एफ.85 / 42 तुल्सी नगर, भोपाल
4.	कार्यालय का दूरभाष कमांक	0755–2675210
5.	निवास का दूरभाष कमाक	0755–2575974
6.	मिलने का समय	कार्यालयीन समय में।

****

सूचना का अधिकार – मेन्यूवल 17
(निर्देशित कोई अन्य जानकारी)

*****

मध्यप्रदेश, गौ पालन एवं संवर्धन बोर्ड
(दिनांक 08.10.2004 से प्रभावशील)

*****

1. **संस्था का नाम –** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल
2. **संस्था का कार्यालय –** आर.ए.के.परिसार, जेल रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र –** संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. **संस्था का उद्धेश्य –** राज्य में गौ वंश आधारित विकास एवं पशुधन संवर्धन तथा कल्याण

*****

(17) निर्देशित कोई अन्य जानकारी

*****

1. **निर्देशित कोई अन्य जानकारी :– मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के विवरण :–** मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के विवरण परिशिष्ट 04 अनुसार संलग्न हैं । संक्षेप में पंजीकृत गौशालाओं की स्थिति निम्नानुसार है। :–

क्र.	विवरण	संख्या
1.	कुल पंजीकृत गौशालाऐं	956
2.	क्रियाशील गौशालाऐं	512
3.	विकास खण्ड मुख्यालय पर पंजीकृत गौशालाऐं	295
4.	ग्राम स्तर पर पंजीकृत गौशालाऐं	661
5.	गौशाला विहीन विकासखण्ड	68
6.	मिल्क रूट पर पडने वाली गौशालाओं की संख्या	237
7.	अक्रियाशील गौशालाऐं	134
8.	प्रचार प्रसार कार्य में संलग्न संस्थाऐं	10
9.	सशर्त पंजीकृत गौशालाऐं	297
10.	प्रथम श्रेणी की गौशालाऐं (100 से अधिक गौवंश, 05 एकड से अधिक भूमि)	100
11.	द्वितीय श्रेणी की गौशालाऐं (50 से 100 गौवंश, 2.5 से 05 एकड तक भूमि)	160
12.	तुतीय श्रेणी की गौशालाऐं (25से 50 गौवंश, 2.5 एकड तक भूमि)	487
13.	चतुर्थ श्रेणी की गौशालाए (25 से कम गौवंश, 2.5 एकड से कम भूमि)	209
14.	गौशाला मे स्थापित बायो गैस संयत्र	58
15.	गोकुल ग्राम में संचालित गौशालाऐं	22
16.	गौशालाओं की संख्या जहॉ गौमूत्र से औषधियॉ तैयार की जा रही है।	34
17.	गौशालाओं की संख्या जहॉ गौमूत्र से फसल रक्षक बनाये जा रहै है।	14
18.	गौशालाओं की संख्या जहॉ दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है।	23
19.	गौशालाओं की संख्या जहॉ फलदार पौधे लगाये गये है।	14
20.	गौशालाओं की संख्या जहॉ औषधी पौधे लगाये गये है।	07
21.	गौशालाओं की संख्या जहॉ सब्जी उत्पादन किया जा रहा हैं	02
22.	गौशालाओं की संख्या जहॉ पुष्प उत्पादन किया जा रहा है।	02
23.	जैविक खाद विक्रय से गौशालाओं को वार्षिक आय	11,53,359.00
24.	दुग्ध विक्रय से गौशालाओं को वार्षिक आय	70,22,282.00
25.	गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश	70,726